

पत्रांक : 1449 /12-1

नई टिहरी, दिनांक- 30/12/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:- जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौली के अन्तर्गत लालूरी कोटी मेंहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण हेतु 3.175 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No-FP/UK/ROAD/49876/2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालीय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/06/25/2023 एफ0सी0/53, दिनांक-24.04.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा का पत्रांक-1879/13एम0जी0 दिनांक 21.08.2024 तथा पत्रांक-2918/13एम0जी0 दिनांक 24.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण कर याचक विभाग द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, जो कि निम्न प्रकार से है अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	आपत्तियाँ	निराकरण आख्या
1	The proposed road, which currently runs from Manjkhet to Chillu Khela Tok, passes through three toks, Guddi Gad tok, Gadkuli tok and Balla Tok. It should be noted that Manjkhet and Chillu Kheda Tok are already connected, while Guddi Gad Tok and Gadkuli Tok are not. Of the three toks, only Balla Tok has a significant number of households, with the other two having very few scattered households. The State Government is requested to provide detailed justification and clarification regarding the proposed road's necessity.	प्रस्तावित मार्ग मंजखेत गांव से गुडडी गाड टोक, गडकुली टोक तथा बल्ला टोक से होकर चुल्लु खेडा नामे टोक तक जाता है। उक्त तीनों टोकों में ग्राम मंजखेत के ग्रामीण रहते हैं। जिस कारण उक्त तीनों टोकों को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम मंजखेत, कोटी मेंहरो की, थिराणी, कान्सी, नाला, चापडा, क्यारी तथा चोपडियाली के कास्तकारों को अपनी नकदी फसलें (मटर, आलू, गोभी, सेब, आड़ू, अखरोट, खुमानी तथा सन्तरा आदि) को मण्डियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उक्त के अतिरिक्त यह मोटर मार्ग मिसिंग लिंक मोटर मार्ग है, जिससे देहरादून से उत्तरकाशी एवं चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे पर्यावरण एवं ईंधन की बचत होगी।
2	The exact purpose of the proposed road is not mentioned in part-I, although proforma 40 states that it will benefit the 155 resident of Manjkhet, However, as previously State Manjkhet is already connected and the State Government is required to provide clarification regarding the proposed road's purpose.	मोटर मार्ग का उद्देश्य उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 01 में वर्णित है। प्रारूप 40 में लाभान्वित आबादी मंजखेत की इसलिये दिखाई गयी है क्योंकि वास्तविक रूप से लाभान्वित होने वाली उपरोक्त तीनों टोकें राजस्व ग्राम मंजखेत के अन्तर्गत ही आती है, जो कि मोटर मार्ग से वंचित है।
3	The State Government is requested to provide the actual population of Balla Tok.	बल्ला टोक राजस्व ग्राम नहीं है जिस कारण उक्त टोक की वास्तविक जनसंख्या की गणना संभव नहीं है। उक्त टोक में मंजखेत के कास्तकार निवास करते हैं जो कि मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हैं। बल्ला टोक में निवासरत उक्त ग्रामीणों की अनुमानित कुल जनसंख्या 75 है जो ग्राम प्रधान मंजखेत तथा राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित है। (प्रमाण-पत्र संलग्न)

4	Considering the information provided above. It would be better to restrict the proposed road to only connect Chillu khela Tok and Balla Tok, as only Balla Tok has a significant number of households. Additionally, since the proposed road passes through dense forest and would require the felling of 509 trees, including 55 oak trees, the road's width could be restricted to 4-5 meters. The State Government is requested to review and revise the proposal accordingly.	प्रस्तावित मार्ग के चुल्लु खेडा टोक तथा बल्ला टोक तक सीमित किये जाने से मार्ग निर्माण का बिन्दु संख्या 01 में वर्णित "देहरादून, उत्तरकाशी एवं चारधाम जाने वाले यात्रियों को लाभान्वित करने का" का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पायेगा, जिस कारण मार्ग को सीमित किया जाना संभव नहीं है, साथ ही उक्त प्रस्तावित मार्ग का समरेखण पूर्व में ही सामाजिक आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टिगत मानकों के अनुरूप चयनित किया गया। Indian Road Congress द्वारा जारी Hill Road Manual में मार्ग की Curve पर न्यूनतम चौड़ाई 6.85 मीटर आवश्यक है। अतः मार्ग निर्माण मानकों के अनुसार वन भूमि में 7 मीटर से कम चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जाना संभव नहीं है।
5	The justification provided by the State Government is incomplete and requires a detailed explanation. A clear and detailed justification must be submitted.	बिन्दु संख्या-01 के अनुसार।
6	The alternate alignment proposed in D (ii) appears to run parallel to the proposed road and is not realistic. The State Government is requested to provide a more feasible alternative alignment.	स्थल की भौगोलिक परिस्थिति एवं आरक्षित वन क्षेत्र के दृष्टिगत उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक समरेखण एक मात्र संभव वैकल्पिक समरेखण है जिसमें वृक्षों की क्षति होने की संभावना न्यून है।
7	The area mentioned in the CA scheme uploaded in Part-II is only 0.698 ha instead of the required 6.35 ha. This discrepancy needs to be corrected.	CA Scheme में अंकित क्षेत्रफल को सही करके 6.35 है0 कर दिया गया है एवं ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। (प्रति संलग्न)
8	The name of the CA area and its details are not mentioned in the CA site Suitability certificate, and the state Government is required to provide this information	क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र में पूर्ण विवरण भर कर आनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। (प्रामाण-पत्र संलग्न)
9	The proposed CA area has an average slope of 38.7% and dense vegetation in some areas. Hence, the DFO's report regarding the suitability of the CA site is required.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र आनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। (प्रामाण-पत्र संलग्न)
10	The State Government is requested to submit/upload the Land Schedule duly authenticated by the DFO.	आरक्षित वन भूमि का लैंड शेड्यूल प्रारूप-15 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। (प्रति संलग्न)
11	A 0.20 ha area is proposed for muck dumping in the Reserve Forest area, which is not acceptable. The state Government is requested to avoid the Reserve forest area and propose a non-Forest land area for muck dumping.	प्रस्तावित मार्ग का समरेखण अधिकांशतः वन भूमि से होकर गुजर रहा है। जिन स्थानों पर नाप/सिविल भूमि उपलब्ध है, उन स्थानों पर पूर्व में 01 डम्पिंग प्रस्तावित की गयी है। उत्तराखण्ड शासन की मार्ग नीति के अनुसार लगभग प्रत्येक कि०मी० में कम से कम एक डम्पिंग जोन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वन भूमि में 04 डम्पिंग जोन चयनित किये गये हैं।
12	The State Government is requested to submit/upload the tree enumeration list of the proposed muck dumping area.	आरक्षित वन भूमि में चयनित मलवा निस्तारण जोन में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची को ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है एवं साथ ही संलग्न कर प्रेषित है। (प्रति संलग्न)
13	The State Government is requested to submit/upload the Muck Disposal Plan duly authenticated by the DFO.	मलवा निस्तारण प्लान प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवा लिया गया है एवं ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)
14	The geologist report submitted is from 22.12.2016 and the state Government is requested to submit/upload a more recent report.	प्रस्तावित समरेखण में पड़ने वाले आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि तथा नाप भूमि वर्ष 2016 से आतिथि तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य/दैवीय आपदा से प्रभावित नहीं हुयी है। जिस कारण उक्त क्षेत्र की भौगोलिक/परिस्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः भू-गर्भ वेत्ता द्वारा दी गयी रिपोर्ट वर्तमान में भी उचित प्रतीत होती है।
15	The NPV sheet's calculations are based on outdated rates, and the State Government is requested to submit/upload an NPV calculation sheet using current rates.	एन०पी०वी० की गणना नई दरों पर कर ली गयी है एवं ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)

16	The Species-wise and girth-wise details of trees do not match in the tree enumeration list and online Part II, Paragraph 4. The State Government is required to provide accurate information in this regard.	उक्त परियोजना में आरक्षित वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 504 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि ऑनलाईन पार्ट-2 में भी भरे गये हैं। इसके अतिरिक्त 05 वृक्ष नाप भूमि पर प्रभावित हो रहे जिस कारण यह ऑनलाईन पार्ट-2 में नहीं भरे गये हैं। (वृक्षों के सारांश की प्रति संलग्न)
17	The information provided in Part-II, Paragraph 14, regarding the CA stipulated is not commensurate with the forest land diverted, and the state Government is required to review and provide correct information.	उक्त बिन्दु के क्रम में वांछित सूचना को ऑनलाईन यथास्थान पर सही कर लिया गया है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

पत्रांक:- _____ / _____ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

प्रमाणित किया जाता है कि लालुवा कोयमंडककी
 मंजिलेत मोटर मार्ग के मंजिलेत से मोरिभाणा मोटर
 मार्ग के समरेखण पर पड़ने वाला बल्ला तोड़ जमें
 कि वर्तमान में किसी भी प्रकार के मोटर मार्ग की
 सुविधा से वंचित है, बल्ला तोड़ में कुल 20 परिवार
 निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 75 है।



[Signature]
 22/8/24
 राजस्व उपनिरीक्षक
 कटखेत / लालपुरा
 तहसील - कागडीसौड़ (टि.ग.)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्डी के अन्तर्गत लालूरी कोटी मेहरो की मँजखेत मोटर मार्ग के मँजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 3.175 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष 6.35 हे० ग्राम मँजखेत, पट्टी-नगुन, तहसील-कण्डीसौंड सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

वृक्षारोपण स्थल :- मँजखेत सिविल सोयम

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल = 6.35 हे०

वृक्षारोपण दर प्रति हे० (1100 पौध)

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	घनराशि (₹०)
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे०	238 00	हे०	238 00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	हे०	2518.00	हे०	2518 00
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फन्सिंग) 95 घ०मी० प्रति हे०	1	हे०	90000.00	हे०	90000 00
4	तार की घेरबाड 1.80 मी० से 2.44 मी० लम्बे तथा 30.00 से 45.00 सेमी० घेरे के खम्बों का कटान, छिलान व सिर्रे बनाना	300	सं०	22.45	सं०	6735 00
5	खम्बो का ढुलान खच्चर/श्रमिक से	ल०स०	ल०स०	25000.00	ल०स०	25000 00
6	खम्बो को गाडने हेतु 20 से०मी० व्यास व 45 से०मी० गहरे गडढे खोदना	100	सं०	9.17	सं०	917 00
7	कन्टूर फरो का खुदान करना					
	3.00m X 30.00m X 20 cm	100	सं०	330.00	सं०	33000 00
8	गडढा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1100	गडढे	8.68	गडढा	9548 00
9	निरीक्षण बटिया बनाना	105	मी०	1100.00	मी०	115500 00
10	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत	1100	पौध	10.77	पौध	11847.00
				योग :- प्रथम चरण		295303.00
द्वितीय चरण :-						
1	गडढा भरान (0.30×0.30×0.45)	1100	गडढे	3.04	गडढा	3344 00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत	1100	पौध	4.23	पौध	4653.00
3	पौध ढुलान कार्य	1100	पौध	5.10	पौध	5610.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	1100	पौध	3.84	पौध	4224.00
5	निराई-गुडाई व मल्विंग (दो बार)	1100	गडढे	3.52	गडढा	3872.00
6	खाद व दवा पर व्यय	1100	गडढे	0.50	गडढा	550.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1	हे०	8580.00	हे०	8580.00
8	8.1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील	1	हे०	284.90	हे०	284.90
	8.2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4.50 मी० की पट्टी साफ करना	1	हे०	284.90	हे०	284.90
	8.3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना					
	अ- प्रशिक्षण	1	सं०	9000.00	हे०	9000.00
	ब- प्रोत्साहन	1	सं०	6000.00	हे०	6000.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय	1	हे०	5900.00	हे०	5900.00
				योग :- द्वितीय चरण		52302.80
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	सं०	11861.00	हे०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	सं०	787.00	हे०	787.00
				योग :- तृतीय चरण		12648.00

चतुर्थ चरण :-

1	प्रथम वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- चतुर्थ चरण						12648.00

पंचम चरण :-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- पंचम चरण						12648.00

षष्ठम चरण :-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- षष्ठम चरण						12648.00

सप्तम चरण :-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- सप्तम चरण						12648.00

अष्टम चरण :-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- अष्टम चरण						12648.00

नवम चरण :-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- नवम चरण						12648.00

दशम चरण :-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	1	रु०	11861.00	रु०	11861.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	रु०	787.00	रु०	787.00
योग :- दशम चरण						12648.00
कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण):-						4,48,789.80
या योग रु० :-						4,48,791

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर प्रति हे० (वर्ष 2023-24)

= 448791.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित भूमि

= 6.350 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित घनराशि

= 6.350 हे० X 4,48,791.00 = 28,49,823.00

योग (रु०) :- =

28,49,823.00


प्रभागीय वरिष्ठ अधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी


परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्रामसभा मंजखेत अन्तर्गत उपलब्ध करायी गई भूमि NON-ZA खतौनी खाता स० 30 में खसरा स० 1474 रकवा 4.559 है० , खसरा स० 1630 मध्ये रकवा 0.203 है० , खसरा स० 1636 रकवा 0.536 है० , खसरा स० 1658 रकवा 0.722 है० एवं खसरा स० 1743 रकवा 0.330 है० कुल 6.350 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड० वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


राजि अधिकारी
टिहरी रेंज
नई टिहरी।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।


प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

प्रा.र-15

वि.सं-10

सलाख-3

43
44
39

Name of the project – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
टिहरी गढ़वाल	टिहरी	टिहरी रेंज	नगुण गाड़			0.70
			16b	1000.00	7.00	0.70
			15b	1000.00	7.00	0.70
			16b	150.00	7.00	0.105
			16a	450.00	7.00	0.315
			15a	1650.00	7.00	1.155
डंपिंग जोन हेतु आरक्षित वन भूमि	टिहरी	टिहरी रेंज	नगुण गाड़ कक्ष सं०-			0.05
			16b	50	10	0.05
			16b	50	10	0.05
			16b	50	10	0.05
			15a	50	10	0.05
			योग			3.175

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा।

रजि अधिकारी
टिहरी रेंज,
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वन अधिकारी
टिहरी रेंज, नई टिहरी

लैन्ड शेड्यूल
(सिविल सोयम/ नाप भूमि)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
नाप भूमि	टिहरी गढ़वाल	कन्डीसौंड	थोलधार			400.00	7.00	0.280
नाप डंपिंग जोन हेतु	टिहरी गढ़वाल	कन्डीसौंड	थोलधार	-	-	50	10	0.050
योग नाप भूमि								0.330

A
अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ला०नि०वि०
चम्बा।

सजस्व उपनिरीक्षक
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ला०नि०वि०
चम्बा।

तहसीलदार
कन्डीसौंड

अधिराष्ट्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ला०नि०वि०
चम्बा।

उपनिरीक्षक
कन्डीसौंड
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

सेवा में

श्रीमान वन हेताधिकारी महोदय

टिहरी राजि नई टिहरी

विषय - लालू वीर नगुणगाड क्र. सं. 16A व 16B के अंतर्गत प्रस्तावित K.M. 1 से K.M. 5 तक 5 डिभिग जोन में होने वाले वृक्षों की गणना सूचि के संवर्धन

संदर्भ - आपके RN-117/121 दिनांक 19/7 2024

महोदय आपके आदेशानुसार दिनांक 26/7/2024 को कोकनिसाया निवासी के अधिकारी व को के साथ नगुणगाड क्र. सं. 16A व 16B में प्रस्तावित मोटर मार्ग K.M. 1 से K.M. 5 तक 5 डिभिग जोन में होने वाले वृक्षों की व्यासकार्य प्रणतिवार गणना सूचि सेवा में प्रस्तुत।

क्र.सं.	प्रजाति	व्यास वर्ग	स्थिति	क्र.सं.	प्रजाति	स्थिति	व्यास वर्ग
डिभिग जेन 1 नगुणगाड 16A				डिभिग जेन 2 नगुणगाड 16A			
1	बाँज	20-30	हरा खड़ा	1	चीड़	हरा खड़ा	50-60
2	कुंकार (खमसी)	40-50	हरा खड़ा	2	-	-	40-50
3	चीड़	70-80	-	3	-	सूखा खड़ा	50-60
4	बाँज	30-40	-	4	-	हरा खड़ा	30-40
5	बाँज	20-30	-	5	-	-	40-50
6	मेहल	20-30	-	6	-	-	50-60
7	काफल	20-30	-	7	-	सूखा खड़ा	40-50
8	काफल	20-30	-	डिभिग जेन 3 नगुणगाड 16B			
9	बाँज	0-10	-	1	बाँज	स्थिति भेदा	30-40
10	काफल	20-30	-	2	बाँज	हरा खड़ा	30-40
11	बाँज	30-40	-	3	खमसी कुंकार	-	20-30
12	काफल	20-30	-	4	बाँज	-	20-30
13	-	10-20	-	डिभिग जेन 4 नगुणगाड 16B			
14	-	20-30	-	1	बाँज	हरा खड़ा	10-20
15	खमसी (कुंकार)	10-20	-	2	-	-	10-20
16	काफल	20-30	-	3	-	-	20-30
17	चीड़	20-30	-	4	-	-	30-40
18	बाँज	30-40	-	डिभिग जेन 5 नगुणगाड 16B			
19	-	20-30	-	1	भमौरा	हरा खड़ा	30-40
20	अंमाल	10-20	-	2	-	-	30-40
21	बाँज	20-30	-	3	-	-	10-20
22	-	10-20	-	4	-	-	10-20
23	-	20-30	-	5	भमौरा	-	30-40
24	काफल	0-10	-	6	-	-	20-30
25	खमसी (कुंकार)	30-40	-	7	भमौरा	-	10-20
26	अंमाल	40-50	-	8	-	-	10-20
27	काफल	20-30	-	9	मेहल	-	20-30
				10	भमौरा	-	20-30
				11	-	-	10-20
				12	-	-	20-30
				13	-	-	20-30
				14	-	-	40-50
				15	पुंश	-	20-30
				16	-	-	20-30
				17	-	-	20-30
				18	बाँज	-	0-10=8
				19	-	-	0-10=4
				20	चीड़	-	

छाया प्रति प्रमाणित

(Signature)
 निदेशक वन, लो. वि. वि.
 चम्पा (दि. सं.)


अतः नगुणगाड क्र. सं. 16A व 16B अंतर्गत मोटर मार्ग मोटर मार्ग डिभिग जेन में होने वाले प्रजातिवार वृक्ष

सूचि सेवा में प्रस्तुत।
 (जयकीट लाल) व. पी. म.
 (नेत्रलाल डोआल)


मैण्डरवाल अनुभाग के लालूरी वीट जगुणगाडू क्र. सं. 16A व 16B के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटा भाग में खरवेत से परिघाणा किलोमीटर 1 से 5 तक आने वाले दुग्ध पौधों के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों की व्यास व व्यास विवरण आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत।


क्र. सं.	प्रजाति	वृक्ष क्रमांक संख्या	प्रजाति	व्यास व्यास विवरण						
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	70-80
1	चीड़	01 से 72 तक								
2			चीड़	4	—	1	1	3	3	1
3			वाँछ	9	6	6	6	—	—	—
4			बुर्रांश	—	—	3	—	1	—	—
5			काफल	1	1	7	—	—	—	—
6			भैरल	—	1	1	—	—	—	—
7			अंथाट	—	1	1	—	1	—	—
8			मैरु	—	—	1	1	—	—	—
9			गभोरा	—	3	3	2	0	—	—
10			खानसी (कुकाट)	—	1	1	1	1	—	—
			योग	14	13	24	11	6	3	1
				कुल = 72						


उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र में शीतान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अणु कुमार
 जे. ए. ए. कार्यालय
 नि. ए. ए. ए. ए. ए.

सोवन सिंह
 (सोवन सिंह) (जयवीर लाल)
 वन वीट अधिकारी
 लालूरी वीट


 श्री. ए. ए. डोभाल
 वन दुरोगा
 अनुभाग मैण्डरवाल


 अणु कुमार
 नि. ए. ए. ए. ए. ए.

छापा प्रति प्रमाणित

 नि. ए. ए. ए. ए. ए.
 ए. ए. ए. ए. ए.

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मेरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

Length:- 4.6500 KM

परियोजना से उत्पादित मलवा हेतु निस्तारण योजना

Received Cutting Material

Sl. No	Description of Work	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting 4650*5.95*3*1/2	41501.25	Cum
	30% For Swell Factor	12450.38	Cum
	TOTAL MATERIAL RECEIVED	53951.63	Cum
Disposal and use of Material			
1	R.R Stone Masonary Laid in 1:6	4578.00	Cum
2	R.R Stone Masonary Laid in dry	4578.00	Cum
3	Hand Packed stone Filling	654.00	Cum
4	Constraction of Wire Create	10908.00	Cum
5	Constraction of Parapet / Scupper	2260.00	Cum
6	Granular Sub base/Base/Surface	4499.00	Cum
7	Super Elevation & Coolie Walling	3987.00	Cum
	TOTAL USED	Total (A)	31464.00
9	Material Disposal by cartage in Dumping Yard	22487.63	Cum
	TOTAL Disposal	Total (B)	22487.63

(A) Quantity of Material Disposal to Dumping = (Material received - Total used Material)

$$53951.63 - 31464.00 = 22487.63$$

$$= 22487.63 \text{ Cum}$$

(B) Total Quantity of Muck Disposal at Dumping Yard's = 22500.00 Cum

Now Total Balance Quantity of Muck to Disposal

$$A - B = -12.38$$

$$= -12.38 \text{ (Nil)}$$

me
कनिष्ठ अभियन्ता
नि.ख. लो०नि०वि०,
चम्बा

Sh
सहायक अभियन्ता
नि.ख. लो०नि०वि०,
चम्बा

formy
अधिशासी अभियन्ता
नि.ख. लो०नि०वि०,
चम्बा

P
वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी

SA
प्रमाणीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Name Of Work:-


जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मेरियाणा तक नव निर्माण कार्य।


Location And Quantity Of Dabries Disposal


Si No	Cross Section Of Dumping Yard	Size Of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (Cum)
1	X Sec 0/0-0/2	50.00 x 10.00 x 9.00 = 4500.00	Forest Land	4500.00
2	X Sec 0/28 to 0/30	50.00 x 10.00 x 9.00 = 4500.00	Forest Land	4500.00
3	X Sec 2/6 to 2/8	50.00 x 10.00 x 9.00 = 4500.00	Forest Land	4500.00
4	X Sec 2/36 to 2/28	50.00 x 10.00 x 9.00 = 4500.00	Naap Land	4500.00
5	X Sec 4/23 to 4/25	50.00 x 10.00 x 9.00 = 4500.00	Forest Land	4500.00
			Total	22500.00
			Say.	22500.00

Catogary Of Dabries Disposal

Si No	Total Dabries	Material Disposal by Cartage	Re Used Material For Road Construction	Total Disposal In Dumping Zone	Balance Dabries
1	53951.63	22487.63	31464.00	22500.00	0.00


कनिष्ठ अभियन्ता
नि.ख. लो0नि0वि0,
चम्बा


सहायक अभियन्ता
नि.ख. लो0नि0वि0,
चम्बा


अधिशासी अभियन्ता
नि.ख. लो0नि0वि0,
चम्बा


वन वनाधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी



प्रमाणीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


Name Of Work:-


जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनोल्डी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मेरियाणा तक नव निर्माण कार्य।


Details Of Muck Disposal Yard

Si No	KM	Land Owner	Land area beign used for dumping yard (Sqm)	Longitude	Lattitude
1	Km 01	Forest Land	500.00	78°16'14.3" E	30°32'25.4" N
2	Km 02	Forest Land	500.00	78°16'1.9" E	30°32'7.2" N
3	Km 03	Forest Land	500.00	78°16'26.5" E	30°32'2.1" N
4	Km 04	Naap Land	500.00	78°16'47.82" E	30°32'4.25" N
5	Km 05	Forest Land	500.00	78°16'32.1" E	30°32'41.3" N


कनिष्ठ अभियन्ता
नि.ख. लो0नि0वि0,
चम्बा


सहायक अभियन्ता
नि.ख. लो0नि0वि0,
चम्बा


अधिशाली अभियन्ता
नि.ख. लो0नि0वि0,
चम्बा


वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी


प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Name of the project – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्डी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मेरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी. - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0- 1292850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 3.175 Hec.
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि Rs. 4104799.00



प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

परियोजना का नाम:- - जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की गंजखेत मोटर मार्ग के गंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

भूमि का प्रकार	व्यास										
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
आरक्षित वन भूमि	12	133	161	112	64	14	05	01	-	02	509
2 <u>नाप श्रेणी</u>	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	05
कुल योग	12	133	161	112	65	16	06	02	-	02	509

उक्त परियोजना निर्माण से कुल विभिन्न प्रकार के कुल 509 वृक्ष प्रभावित होंगे।

(Signature)
 यशपाल सिंह चौहान
 अनुभाग अधिकारी
 अदालत

(Signature)
 रजि. आ. वि. वि. का.
 टिहरी जे. जे. रजि.
 नई टिहरी।

(Signature)
 अरवि प्रती प्रजापति

(Signature)
 सहायक अभियंता
 निर्माण खण्ड, नो.नि.वि.
 पन्ना (दि.पं.)

(Signature)
 प्रतिहस्ताक्षरित
 प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय टिहरी विभाग
 टिहरी नव निर्माण
 पन्ना टिहरी।